बिहार-विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि १५ जुलाई, १९५२ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

नरईपुर ग्राम पंचायत के मुखिया की गिरफ्तारी।

८९। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) चम्पारण जिला के बगहा थाना के नरईपुर ग्राम पंचायत राज के मुखिया चार पंच और चीफ औफिसर को बेतिया सबडिवीजन के बगहा थाना के पुलिस इंसपेक्टर, पुलिस आफिसर तथा बेतिया के द्वितीय आफिसर श्री एम० पी० सिंह ने तारीख २५ जून, १९५२ को बगहा सूगर मिल में उनलोगों को बुलाकर गिरफ्तारी किया;

(ख) क्या यह बात सही है कि बिहार पंचायत राज ऐक्ट १९४७ के धारा ८३ के अनुसार ग्राम पंचायत राज के प्रत्येक सदस्य जनसेवक समझे जाते हैं;

(ग) क्या यह बात सही है कि खंड (ख) के अनुसार "जन सेवक" की गिरफ्तारी बिना उच्च अधिकारियों की आज्ञा से नहीं की जा सकती है?

Shri ANATH KANTA BASU : Sir, I want to raise a point of order. I draw your attention to rule 70(2) of the Assembly Rules and beg to submit before you that this rule is not being followed inasmuch as we got the printed copies of the questions just now and had no opportunity of preparing ourselves with supplementary questions.

Mr. SPEAKER : What was being done in the past.

Shri ANATH KANTA BASU : This has always been the position.

अध्यक्ष—इस सभा में बहुत सा काम बिना लिखे हुए नियम के अनुसार हमलोग करते आते हैं और वह भी नियम हो जाता है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—इसका उत्तर तैयार नहीं है।

श्री राम सुन्दर तिवारी—इस विषय पर मैंने १ जुलाई, १९५२ को एक एडजोर्नमेंट मोशन की नोटिश दी थी उस पर यह कहा गया था कि शौर्ट नोटिश क्वेश्चन दिया जाय। उसी दिन मैंने शौर्ट नोटिश क्वेश्चन की नोटिश दी लेकिन आज १५ जुलाई, १९५२ हो गया लेकिन उत्तर नहीं दिया जा रहा है। मिनिस्टर साहब ने खुद उस प्रश्न पर समय निर्धारित कर दिया था।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमें याद नहीं है। मैं शौर्ट नोटिश क्वेश्चन पर लिख देता हूँ कि कब मैं उत्तर दे सकूंगा और कभी-कभी मैं समय को बदल भी देता हूँ।

(ग) क्या सरकार उपर्युक्त मल संग्रह स्थल के भवन निर्माण पर अभी कोई विचार कर रही है;

(घ) यदि खंड (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बता सकती है कि उपर्युक्त भवन का निर्माण क्यों नहीं हुआ तथा उन १,००० रुपयों का क्या हिसाब है?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) मल संग्रह स्थल को अन्य समुचित स्थान में हटाने के लिये यूनियन कमिटी प्रयत्नशील है तथा जमीन खरीदने के लिये जिला परिषद् से पत्राचार कर रही है।

(घ) युनियन कमिटी ने अनुदान से उस रकम को अपने मद में रखा है क्योंकि उतनी रकम से भवन निर्माण संभव नहीं है।

श्री रामनरेश सिंह—क्या सरकार यह बतलायेगी कि अभी तक इस मल संग्रह स्थल का भवन निर्माण क्यों नहीं हो सका?

श्री भोला पासवान—जमीन नहीं ली गयी थी। जब उसके लिये उपयुक्त जमीन खरीद ली जायेगी तब यह बन जायेगा।

DISTRICT BOARDS WIHTOUT LOCAL BOARD.

*1099. **Shri BINDHYESHWARI PRASAD MANDAL:** Will the Minister incharge of the Local Self-Government be pleased to state—

(*a*) the names of District Boards which are without any Local Board;

(*b*) whether there is any legal bar in creating Local Boards within Saharsa District Board;

(*c*) whether it is a fact that the local area within Saharsa District Board, which was formerly within Bhagalpur District Board had two Local Boards, namely, Madhipura and Supaul;

(*d*) whether Government propose to re-establish the said Local Boards by taking necessary legislative and executive steps; if not, why?

Shri BHOLA PASWAN: (*a*) The District Boards of Saharsa, Santal Parganas, Ranchi, Palamau and Singhbhum have no Local Boards.

(*b*) The answer is in the negative.

(*c*) The answer is in the affirmative.

(*d*) As regards the first part of the question, the answer is in the negative. As regards the second part of the question, the District Board at Saharsa was established after abolishing the Local Boards

at Supaul and Madhipura in accordance with the provisions of the Bihar Local Self-Government (Amendment) Act, 1948. As the jurisdiction of the District Board itself is very small, re-establishment of Local Boards at Supaul and Madhipura may not be economical.

Shri BINDHYESHWARI PRASAD MANDAL: Are Government aware that there is a necessity of establishing Local Boards at Madhipura and Supaul?

श्री भोला पासवान—इसका सरकार के पास कोई जवाब नहीं है।

Shri BINDHYESHWARI PRASAD MANDAL: Are Government aware that formerly Bhagalpur district had four Local Boards, out of which two Local Boards fell in the local area of Saharsa District Board, and the two remaining Local Boards in Bhagalpur are still continuing, if so, what was the intention of Government in discontinuing the two Local Boards that were within Saharsa?

श्री भोला पासवान—इसमें सरकार का कोई खास इन्टेन्शन नहीं है। सहरसा जिला का बहुत छोटा एरिया है और केवल एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से ही वहां काम चल सकता है।

Shri BINDHYESHWARI PRASAD MANDAL: Are Government aware that the members of the Saharsa District Board have requested Government to start Local Boards at these two places, and will Government take necessary steps to amend the standing law?

श्री भोला पासवान—अभी सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई खास बात नहीं कही जा सकती है।

श्री पशुपति सिंह—क्या सरकार यह समझती है कि सहरसा में लोकल बोर्ड कायम किये बिना काम नहीं चलेगा?

श्री भोला पासवान—सरकार ऐसा नहीं समझती है। सरकार समझती है कि लोकल बोर्ड के बिना वहां का काम चल जाएगा।

अध्यक्ष महोदय—अब प्रश्नोत्तर का समय खत्म हो गया।

श्री श्रीशचन्द्र बनर्जी—अध्यक्ष महोदय, इस असेम्बली के बैठने का समय ११ बजे है मगर बैठक कभी ११-१० मिनट पर और कभी ११-१२ मिनट पर शुरु होती है। प्रश्नोत्तर आप ठीक १२ बजे बन्द कर देते हैं। इस तरह से समय पर बैठने से जो १०-१२ मिनट समय प्रश्नोत्तर के लिए मिलता, वह नहीं मिलता है। इस सरकार के लिए क्वेश्चन ही एक चेक है और यदि उसके लिए भी पूरा समय नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसे हम नहीं समझ रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय—आज सभा की बैठक ११-५ मिनट पर शुरु हुई है। किसी कारण-वश बैठक के शुरु होने में दो-चार मिनट की देरी होती ही है और इसके लिये माननीय सदस्य को क्षोभ प्रकट करना उचित नहीं मालूम पड़ता है। जब माननीय सदस्य इस पर अपना क्षोभ प्रकट कर रहे हैं तो अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि उनके विचार के कारण आज प्रश्नोत्तर के लिए ५ मिनट और समय दिया जा रहा है।

ग्राम-पंचायतों के चीफ औफिसरों का वेतन।

*११००। श्री राम सुन्दर तिवारी—क्या मंत्री, स्वायत्त-शासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) बिहार पंचायत राज विधान को सारे प्रांत में पूर्ण रूप से हर गांव में पंचायत बनाने की योजना कितने साल तक की है ;

(ख) क्या यह सही है कि प्रत्येक जिला में काफी पंचायत बन जाने से एक पंचायत अफसर के लिए उन पंचायतों का निरीक्षण करना, काम देखना कठिन हो गया है ;

(ग) क्या यह सही है कि पंचायतों के अन्दर जो चीफ औफिसर रहते हैं उन्हें अवैतनिक काम करना पड़ता है ;

(घ) क्या यह सही है कि ग्राम रक्षक दल के चीफ औफिसर को चोरों और बदमाशों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है ;

(ङ) यदि ऊपर के खंड (ख), (ग) और (घ) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि क्या सरकार पंचायत आफिसरों की संख्या उन जिलों में जहां अधिक पंचायत बन गये हैं बढ़ाने और चीफ अफिसरों के वेतन देने अथवा उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार देने के लिए विचार करती है?

श्री भोला पासवान—(क) वर्तमान कार्य-नीति के अनुसार प्रत्येक वर्ष १,३०० पंचायत अधिसूचित की जा रही हैं। किन्तु पंच-वर्षीय योजना को देखकर इस गति में विशेष तेजी लाने का विचार किया जा रहा है।

(ख) पंचायतों की संख्या बढ़ने से पंचायत अफसर का कार्य तो कठिन हो ही जायेगा किन्तु उनको सहायता के लिए सुपरवाइजरों की संख्या में वृद्धि की जा रही है।

(ग) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ङ) पंचायत अफसरों की संख्या बढ़ाने का विचार नहीं है। किन्तु सुपरवाइजर बढ़ाये जा रहे हैं। चीफ अफसरों को वेतन देने और बदमाशों को उन्हें गिरफ्तार करने का अधिकार देने के विषय में सक्रिय विचार हो रहा है।

श्री रामसुन्दर तिवारी—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों में यह विचार खत्म होगा?